



2026:AHC:163168

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27216/2026**

परवेज़ और एक अन्य

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : संतोष कुमार तिवारी  
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

**न्यायालय संख्या - 64**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा**

1. आवेदकों के अधिवक्ताओं और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री एन.के. शर्मा को सुना। अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत याचिका मामले अपराध संख्या 417/2025, धारा 305, 317(2), 331(4), 111(4), 111(6) बीएनएस, पुलिस स्टेशन- गोला, जिला- गोरखपुर में मुकदमे की लंबितता के दौरान आवेदकों को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदकों के अधिवक्ता का कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकों का नाम नहीं था। आवेदकों को 10.9.2025 को अन्य सह-आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया था और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक संख्या 2 के निजी कब्जे से देसी पिस्तौल की झूठी बरामदगी दिखाई गई है। आवेदक संख्या 1 से कोई बरामदगी नहीं हुई है। पिक-अप वैन से झूठी बरामदगी दिखाई गई है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। इस स्तर पर, आवेदकों को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक न तो किसी संगठित अपराध गिरोह के सदस्य हैं और न ही उन्होंने ऐसे गिरोह की ओर से कार्य किया है। सह-आरोपी मुकेश उर्फ खुदबुद को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 17248/2026 में दिनांक 4.6.2026 को पारित आदेश के माध्यम से जमानत दी गई है। आवेदकों का आपराधिक इतिहास हलफनामे के पैरा 21 में बताया गया है। आवेदक 10.9.2026 से जेल में हैं और यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
4. राज्य के अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं का आपराधिक अभिलेख है।
5. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकों का नाम नहीं था। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। इस स्तर पर, आवेदकों को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सह-आरोपी मुकेश उर्फ खुदबुद को इस न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदकों के आपराधिक इतिहास के संबंध में, राज्य का यह आरोप नहीं है कि आवेदक जांच में छेड़छाड़ कर सकते हैं या उसे किसी अन्य प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं, या मुकदमे से पहले या उसके दौरान गवाहों को डरा-धमका सकते हैं। राज्य ने ऐसा कोई ठोस सबूत भी पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि आवेदकों ने अतीत में कानून की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया था। इस न्यायालय की राय में, यदि आरोपी अन्यथा जमानत का हकदार पाया जाता है, तो उसे केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है। आपराधिक इतिहास के आधार पर ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बताई गई है जिसके कारण आरोपी को जमानत न दी जाए, इसलिए न्यायालय केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर आवेदकों को जमानत से वंचित करना उचित नहीं समझता है।
7. **ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012) 9 एससीसी 446** में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 30 में टिप्पणी की है:-

“हम यह बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को कभी जमानत नहीं मिल सकती। लेकिन, जिस अपराध के लिए उस पर मामला दर्ज किया गया है, उसकी प्रकृति को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है।”
8. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एस.सी.सी. 648** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि किसी आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना स्वयं जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।
9. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य मुकदमे की सुनवाई में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने ऐसा कोई सबूत या परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो कि सार्वजनिक हित या राज्य हित में आरोपी/आवेदक जमानत के हकदार नहीं हैं।
10. इसके अलावा, याचिकाकर्ता दस महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है और मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
11. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदकों - **परवेज़ और अफ़रोज़** को, उनके द्वारा व्यक्तिगत मुचलके और दो **भारी** जमानतदारों (उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए) को समान राशि में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:
  - (i) उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना होगा;
  - (ii) अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी;
  - (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे और
  - (iv) प्रत्येक माह के पहले रविवार को दोपहर **3:00** बजे से शाम **5:00** बजे के बीच संबंधित पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।
12. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

5 अगस्त, 2026  
एसएस

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।